

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर  
पीठासीन अधिकारी :-श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.,  
राजस्व आवेदन संख्या -06/2026

उनवान

प्रार्थीगण

- 1.अमेदाराम पुत्र कलाराम
- 2.करनाराम पुत्र कलाराम
- 3.जैसाराम पुत्र कलाराम
- 4.प्रहलादराम पुत्र कलाराम
- 5.सामाराम पुत्र कलाराम
- 6.श्रीमती अणसीदेवी पत्नी कलाराम जाति जाट,निवासी जाटों की बस्ती रामसर हाल निवासी तहसील चौहटन जिला बाडमेर।



विप्रार्थीगण


- 1.अर्जूनराम पुत्र नवलाराम
- 2.तगाराम पुत्र नवलाराम
- 3.ठाकराराम पुत्र केसराराम
- 4.नगाराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी हीरपुरा जैसार तहसील चौहटन जिला बाडमेर
- 5.ओसमान पुत्र हुसैन
- 6.रसीद पुत्र हुसैन
- 7.सुमार पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी सेहलाऊ तहसील रामसर जिला बाडमेर।
- 8.जोगाराम पुत्र कलाराम
- 9.आदुराम पुत्र कलाराम
- 10.सताराम पुत्र गेनाराम
- 11.हनुमानराम पुत्र गेनाराम
- 12.चेतनराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी जाटों की बस्ती गरडिया तहसील रामसर जिला बाडमेर।
- 13.घमण्डाराम पुत्र भगवानाराम
- 14.चौखाराम पुत्र सुखाराम
- 15.भगवानाराम पुत्र बागाराम
- 16.इसराराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी जाटों की बस्ती गरडिया तहसील रामसर जिला बाडमेर।
- 17.तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी  
दिनांक :-25.03.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 06.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा जाटों की बस्ती पटवार मण्डल गरडिया भूअनि भीण्डे का पार के खसरा संख्या 128/69 रकबा 6.3859 हेक्टर,किस्म भूमि बा.सो. उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्रार्थीगण को नोटिस रजिस्टर्डडाक से जारी होने के बावजूद बाद तामिल विप्रार्थी संख्या 1 से 16 अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।


बहस सुनी गई।पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

  
उपखण्ड अधिकारी, रामसर




अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा जाटों की बस्ती पटवार मण्डल गरडिया भूअनि भीण्डे का पार के खसरा संख्या 128/69 रकबा 6.3859 हेक्टर, किस्म भूमि बा.दो.भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/- अक्षरें रुपये एक हजार रुपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरों के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये जावें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। यह आदेश आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया। पत्रावली फेसल सुमार हो नंबर से कम हो।

  
25/3/2026  
उपखण्ड अधिकारी रामसर  
दिनांक : 25/3/2026

क्रमांक : रीडर/2026/ 238-41  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/रामसर।
3. प्राथीगण अमेदाराम पुत्र कलाराम वगैराह
4. विप्रार्थीगण अर्जूनराम पुत्र नवलाराम वगैराह।

  
25/3/2026  
उपखण्ड अधिकारी रामसर  
उपखण्ड अधिकारी रामसर

